पत्रांक–4/STA.–(विविध)–04/2016

**बिहार सरकार**

**परिवहन विभाग**

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।
प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक

विषय: परमिट के अनुरूप निर्धारित शर्तों पर वाहन का परिचालन नहीं करने एवं बिना परमिट के अवैध रूप से वाहनों का परिचालन करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–818, दिनांक–15.02.2016 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक–1990, दिनांक–27.04.2016 का कृपया स्मरण करें जिसके द्वारा आपको विषयांकित मामले में बसों/वाहनों का औचक निरीक्षण/जांच कार्य करने तथा तत्संबंधी की गई कारवाई से विभाग को सूचित करने हेतु निदेशित किया गया था, किन्तु उक्त के आलोक में आपके द्वारा की गयी कार्रवाई से अबतक विभाग को अवगत नहीं कराया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में आपके द्वारा जांच कार्य नहीं किया जा रहा है । यह अत्यंत खेद का विषय है।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक–26.12.2015 को सरकार के साथ परिवहन विभाग के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक में **"बार–बार मोटरवाहन अधिनियम का दुरूपयोग करने वाले दोषियों के अनुज्ञा पत्र (Permit) को रद्द करने की दिशा में नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने"** हेतु निदेश दिया गया था ।

उपर्युक्त के संदर्भ में सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन करने तथा निर्धारित भाड़े से अधिक भाड़ा यात्रियों से वसूल करने एवं बिना परमिट के अवैध रूप से वाहनों का परिचालन करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारी पुरे राज्य में बसों/वाहनों का औचक निरीक्षण/जांच कार्य करें तथा अवैध रूप से बिना परमिट के संचालित एवं परमिट के शर्तो का उल्लघंन कर परिचालित वाहनों पर नियमानुसार जब्ति, शमन आदि की त्वरित कार्रवाई करें तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

मामला राज्य राजस्व से संबंधित है । अतः उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 4293 पटना,दिनांक 12/7/16

प्रतिलिपि– 1. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक (यातायात), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित पदाधिकारी को उनके ई–मेल पर तथा विभागीय वेब–साईट पर इस पत्र को अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

R.K.P-577